RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 34 / 2025, **GCMS NO. 2025/135**

प्रार्थी–

1. श्री निम्बसिंह पुत्र लालसिंह
2. श्री हरीसिंह पुत्र सरदारसिंह
3. श्री सोहनसिंह पुत्र भीमसिंह जातियान राजपूत, निवासी खण्डप, तहसील समदडी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री सरपंच ग्राम पंचायत खण्डप, तहसील समदडी, जिला बालोतरा।
2. श्री मानसिंह पुत्र प्रभूसिंह जाति रापजूत, निवासी खण्डप, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 01 दिनांक 30.12.1999 जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश पुरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेलाराम कुमावत व दिनेश कुमावत, अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांकः 04.02.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 30.12.1999 के विरूद्ध दिनांक 05.08.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के नियम के तहत मौजा खण्डप में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 01 दिनांक 30.12.1999 को जारी किया गया। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता

जिला कलक्टर
बालोतरा

के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत खण्डप से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस व लिखित बहस में यह कथन किया कि ग्राम खण्डप के बमौहल्ला परमारों की बास में प्रार्थीगण का रहवास है तथा परमारों की वास में आवागमन को करीब 20 फीट चौड़ी गली/रास्ता आया हुआ है, जिसमें से होकर मौहल्लेवासी आवागमन करते आ रहे है। उक्त रास्ता भूमि पर ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा समय–समय पर ग्रेवल व साफ–सफाई भी करवायी जाती रही है। जनवरी 2025 में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त रास्ता भूमि पर पत्थर डालकर कब्जो करने को आमादा हुआ तथा अतिक्रमण करने हेतु रास्ता भूमि के बीचो–बीच कांटों की बाड़ लगाने लगे, तब मौहल्लेवासियों ने इक्टठा होकर अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत खण्डप को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटाने हेतु निवेदन किया, जिस पर दिनांक 13.01.2025 को ग्राम विकास अधिकारी व अन्य ग्रामिणों ने मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यह पाया गया कि उक्त रास्ता भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 मानसिंह अतिक्रमण कर पत्थर व लकड़िया डाल रखी है, जो रास्ता भूमि पर है। मौहल्लेवासियों द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर बालोतरा को दिनांक 16.01.2025 को रास्ता भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु शिकायत प्रस्तुत की, जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर बालोतरा द्वारा तत्कालीन विकास अधिकारी समदड़ी को उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देश जारी किये गये। विकास अधिकारी समदड़ी द्वारा भी श्री न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गयी व अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तब मौहल्लेवासियों की ओर से प्रार्थी संख्या 1 निम्बसिंह ने दिनांक 08.05.2025 को पुनः को श्रीमान के समक्ष उपस्थित होकर आदेश की पालना करने हेतु व आमजन के आवागमन के रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु निवेदन किया। उक्त आदेश की पालना में विकास अधिकारी समदड़ी द्वारा मौके पर आकर उक्त अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, तब अप्रार्थी संख्या 1 मानसिंह ने कहा कि उक्त रास्ते वाली भूमि पर मेरा पट्टा बना हुआ है व उक्त भूमि पर मेरा कब्जा है। उक्त पटटा की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत खण्डप में जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा उक्त पटटे की प्रति नहीं दी तथा यह कहा गया कि हमारे पास उक्त पटटे की

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलेक्टर
बालोतरा

पत्रावली उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उक्त पट्टे की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती। अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी फर्जी व रास्ते की भूमि का पट्टा पूर्णतया अवैध व अनुचित है। अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा विवादित पट्टा अवैध, अनुचित, अवैधानिक जारी किया गया, ग्राम पंचायत ने भूखण्ड के पास पडौस व मौहल्लेवासियों से बिना कोई पूछताछ व जांच पडताल किये, बाले बाले रास्तां भूमि का भूखण्ड बताकर अवैद्य तरीके से उक्त पट्टा नियम विरूद्ध फर्जी तैयार किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त, पट्टा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 167 (1) के तहत विक्रय हेतु निलामी में जारी किये होने बाबत पटटा जारी किया गया है, जबकि इस नियम के तहत केवल बोली लगाकर ही निलामी के दौरान जारी हो सकता है, जबकि विधि के तहत रास्ता भूमि का पटटा किसी प्रकार से जारी नही किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जो कूटरचित पट्टा ग्राम पंचायत खण्डप से हासिल किया है जो पट्टा पंचायत अधिनियम व उसके तहत बने नियमों के अनुसार न होने, बाध्यकारी प्रावधानो की पालना न करने से वह पट्टां नल एण्ड वोईड है। उक्त दस्तावेज का निष्पादन व रचना अविधिक व छल कपट द्वारा की गई होने से शुरू से ही प्रभाव शून्य है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 167(1) के अन्तर्गत निलामी के द्वारा ही बोली लगाकर ही पट्ट जारी किये जा सकते है, दावाकृत सम्पति पूर्व से ही रास्ता भूमि में वेस्ट हो चुकी थी, जिसके रख–रखाव व साफ–सफाई का दायित्व विप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत का था, परन्तु ग्राम पंचायत ने रास्ता भूमि पर अवैध तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम का पटटा जारी कर अवैध कृत्य किया है। ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र भी नहीं बनाया, न हीं मौका रिपोर्ट में नाप व पडौस दर्ज किये। भूमि की बजारू किमत व दर दर्ज करना आवश्यक होता है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा एक ही समय में सारी कार्यवाही कर फर्जी पट्टा तैयार किया है। पट्टे को जारी करने से पूर्व एक माह म्यादी का नोटिस जारी करना आज्ञापंक है, लेकिन उक्त प्रकरण में ऐसी कोई नोटिस की चस्पागी तारीख तिथि मिति का वर्णन नहीं है। इस प्रकार सारी कार्यवाही न करने से स्पष्ट है कि ये सारी कार्यवाही गलत तरीके से सम्पन्न की गई है। पट्टे के विलेख में आज दिनांक •••'' को प्रथम पक्ष में तारीख का कॉलम खाली है एवं निलामी की राशि की रसीद की संख्या भी नहीं लिखी हुई है, इसी प्रकार सचिव के हस्ताक्षर व मोहर भी अंकित नहीं है एवं पड़ौस का विवरण भी अर्पूण दर्शाया है, केता के हस्ताक्षरों की जगह भी हस्ताक्षर नहीं है व साक्षीयों के भी हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी थी,

जिला कलक्टर
बालोतरा

जिसमें भी यह स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त पटटा वाली जगह रास्ते वाली भूमि है। अप्रार्थी द्वारा यदि पट्टे वाली भूमि पर अपने अवैध पटटे की आड़ में निर्माण कर देते है तो मौहल्लेवासियों का आवागमन पूर्णतया बाधित हो जायेंगा तथा अप्रार्थी संख्या 2 अपने मन्सुखों में कामयाब हो जायेंगा, ऐसी स्थिति में तत्काल उक्त पटटे को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 01 दिनांक 30.12.1999 को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस व लिखित बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं. 2 ने पुराने गृह को विनियमिति कर पटटा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत खण्डप मे आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत खण्डप ने पटटा पत्रावली कायम कर ग्राम पंचायत खण्डप ने तमाम कानूनी प्रक्रियाओ को पूरा करके अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना मकान विनियमित करने का प्रस्ताव संख्या 47 दिनांक 30.12.1999 को पारित कर पटटा जारी किया गया। तत्पश्चात् सन् 2018 में निम्बसिंह ने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य आरम्भ किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 के मकान के दरवाजे के सामने अपने मकान का दरवाजा खोलने पर उतारू हुआ, क्योकि अप्रार्थी सं. 2 के दरवाजे के ऐन सामने दरवाजा खोलने से अप्रार्थी सं. 2 का प्राईवेशी पर बुरा असर पड़ रहा था। जिस कारण अप्रार्थी सं. 2 ने ऐतराज किया तथा उसका निर्माण रूकवा दिया। जिस पर गांव खण्डप के मौजिज शख्सो ने इकटठा होकर निम्बसिंह व अप्रार्थी संख्या 2 के बीच समझौता करवाया, जिसका लिखित दिनांक 02.02.2018 को लिखा गया जो साथ पेश है। जिसके अनुसार निम्बसिंह को दीवार में दो दरवाजे रास्ते पर खोलने तथा अप्रार्थी संख्या 2 मानसिंह व हरीसिंह के मकान के दरवाजो के सम्मुख दरवाजे नहीं खोलने तथा रास्ते पर ढाई फिट के पावटिये निकालने तथा रास्ते पर चौकी नहीं बनाने पर सहमति हुई। उपरोक्त राजीनामा से निम्बसिंह अप्रार्थी सं. 2 से अदावदी व रंजिश रखने रखा, क्योकि निम्बसिंह को मनमाना निर्माण करने से रोक दिया गया था जिसकी अदावत से यह झूठी निगरानी याचिका अप्रार्थी संख्या 2 को तंग परेशान करने हेतु पेश की गयी है। अप्रार्थी सं. 2 का 50 साल पूराना मकान मौके पर बना हुआ है, जिसमे अप्रार्थी सं. 2 का निरन्तर रुप से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 2 के मकान के पटटे का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 का मकान रास्ते की भूमि पर बना हुआ नहीं है। अगर अप्रार्थी सं. 2 का मकान रास्ते की भूमि पर हो तो प्रार्थी निम्बसिंह 50 साल तक चुपचाप बैठा नही रहता जरूर कोई कार्यवाही करता। अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पटटा संख्या 1 का दिनांक

जिला कलक्टर
बालोतरा

05.02.2011 को नवीनिकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत खण्डप ने पटटा जारी करने से पूर्व तमाम विधिक प्रक्रियाओ को पूरा किया था। अप्रार्थी सं. 2 ने भूमि निलामी मे नहीं खरीद कर पुराने गृह को विनियमिति करने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में पेश किया था, जिस पर अप्रार्थी सं. 2 को पुराने गृह का विनियमिति करते हुए पटटा जारी कर 200/– रुपये अप्रार्थी सं. 2 ने ग्राम पंचायत मे जमा करवाये थे। पटटा पत्रावली को संधारण करना पंचायत का दायित्व है अगर अप्रार्थी सं. 2 के नाम जारी पटटे की पत्रावली ग्राम पंचायत खण्डप के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो इसका दोष अप्रार्थी सं. 2 पर नहीं डाला जा सकता है। धारा 97 पंचायति राज अधिनियम के तहत पटटा जारी करने के प्रस्ताव की निगरानी करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 को पटटा जारी करने के प्रस्ताव संख्या 47 तथा नवीनिकरण करने के प्रस्ताव सं. 3 को निगरानी मे प्रश्नगत नहीं किया है। प्रार्थीगण ने पटटा संख्या 1 को प्रश्नगत कर उसे निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की है जो चलने काबिल नहीं है। श्रीमानजी को उक्त निगरानी में केवल कानूनी बिन्दु तय करने है न कि मौके की जांच करनी है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा लगभग 26 साल बाद यह निगनारी पेश की गयी है, जो म्याद बाहर है और न ही धारा 5 का प्रार्थना पत्र निगरानी के साथ लगाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार से व म्याद हबाहर पेश की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार बाहर एवं म्याद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 1999 में ग्राम पंचायत की ओर से जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 01 दिनांक 30.12.1999 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण का कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जो रास्ते पर बनाया गया हैं तथा उक्त प्रश्नगत पट्टे जारी करने में पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई। इस संबंध में कार्यालय पंचायत समिति समदड़ी से मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें भूखण्ड की शेष भूमि पर आवागमन का रास्ता है एवं माप एवं मौका स्थिति के अनुसार कब्जा की स्थिति में भिन्नता पाई गई, उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, होना बताया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 का 50 साल पूराना मकान मौके पर बना हुआ है तथा पुराना

जिला कलक्टर
बालोतरा

विनियमतीकरण के तहत उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा जारी करने में पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई नियमों का एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्ठि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न आलोच्य पट्टा की प्रति में नियम 167(1) के तहत जारी होना बताया गया, जबकि पुराना विनियमतीकरण के तहत 157 के नियमों में जारी किया जाता है। इसके अलावा पट्टे की प्रति में क्रेता के हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया और न ही जारी दिनांक अंकित होना पाया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 157 की पालना नहीं की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि उक्त आलोच्य भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 का पैतृक एवं पुश्तैनी है, लेकिन इस संबंध में अप्रार्थी ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है, जिससे यह साबित नहीं हो सकता कि उक्त आलोच्य भूखण्ड अप्रार्थी का ही है। इस न्यायालय को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टे की प्रकिया/वैद्यता को देखा जाना है, न कि किसी का स्वामित्व तय करना। इसके बावजूद भी अप्रार्थी यदि इस भूखण्ड पर अपना हक–अधिकार होना मानता हैं, तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए, इसके लिए अप्रार्थी स्वतंत्र है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी आलोच्य पटटा को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्म्त नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
जिला कलक्टर बालोतरा